[2018] 9 एससीआर 503

अजय कुमार सिंह एवं एक अन्य

विरुद्ध

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 2014 की 10829)

09 अगस्त, 2018

[कुरियन जोसफ एवं संजय किशन कौल, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानूनः

वरिष्ठता - पदोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के बीच पारस्परिक वरिष्ठता-'सहायक अभियंता' के पद के लिए वरिष्ठता सूची में सीधी भर्ती की अपेक्षा पदोन्नत व्यक्ति को वरिष्ठता में रखा गया – सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों ने वरिष्ठता सूची को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि पदोन्नत व्यक्तियों की नियुक्ति संवैधानिक रूप से अमान्य थी क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद. 320 (3) में परिकल्पित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के परामर्श के बिना थीं – अभिनिर्धारित - पदोन्नत व्यक्तियों के साथ-साथ सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों को शुरू में एक स्टॉप-गैप व्यवस्था के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था - सीधी भर्तियों की नियुक्ति, इस प्रकार यूपीपीएससी की नियमित प्रक्रिया के माध्यम से नहीं थी - बाद में उन्हें दिनांक 20.11.2001 के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में नियमित किया गया था - उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीकृत सेवा नियम, 1985 के चौथे संशोधन पर भरोसा करना उचित नहीं था क्योंकि उसमें 'सहायक अभियंता' के पद का उल्लेख उस पद के रूप में नहीं किया गया था जिसके लिए यूपीपीएससी के साथ परामर्श से छूट दी गई थी - इस तरह का परामर्श अनिवार्य था-हालांकि, यह अनियमितता है और अवैधता नहीं है, और इस तरह की अनियमितता को संभावित परामर्श के माध्यम से ठीक किया जा सकता है – सीधी भर्तियों के लिए पारस्परिक वरिष्ठता के लिए सुसंगत दिनांक उनके नियमितीकरण की दिनांक होगी और पदोन्नतियों के लिए उनके निरंतर कार्यपालन की दिनांक होगी -पदोन्नतियों की कार्यपालन के दिनांक सीधी भर्तियों की नियुक्ति से पहले होती हैं - राज्य को परामर्श के लिए यूपीपीएससी जाने का निर्देश दिया गया है - भारत का संविधान- अनुच्छेद. 320 (3)-उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1973 [उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास (संशोधन और सत्यापन) अधिनियम, 1985 द्वारा संशोधित] - धारा 5क-उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केंद्रीकृत सेवा नियमावली, 1985 - 8, 21 और 28, अनुसूची III -उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृतियों का परिसीमन) विनियम, 1954।

अपीलों का निपटारा करते हुए,

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: 1. विवाद तदर्थवाद का एक परिणाम है, जो स्थापना के समय हुआ था जब उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1973 में संशोधन किया गया था, ताकि यू.पी. राज्य में अधिकारियों द्वारा बेहतर विकास प्रदान किया जा सके। नियमित प्रक्रिया नहीं की गई थी और पदोन्नत व्यक्तियों और सीधी नियुक्तियों दोनों के संदर्भ में एक स्टॉप- गैप व्यवस्था की गई थी। हालाँकि, इस स्टॉप- गैप व्यवस्था ने नियमित प्रक्रिया का पालन किए बिना, लंबे समय तक निरंतरता द्वारा एक अधिक स्थायी विशेषता हासिल कर ली। यह दोनों चैनलों में था। अपीलार्थियों की नियुक्ति स्वयं यूपीपीएससी की नियमित प्रक्रिया के माध्यम से नहीं की गई थी, बल्कि दिनांक 25.8.1987 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा नियुक्त चयन समिति द्वारा किए गए चयन के माध्यम से की गई थी। यह नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी और तदर्थ आधार पर थी और इसे अधिकतम एक वर्ष या उस अवधि तक जारी रखना था जब तक कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित उम्मीदवारों का चयन नहीं किया जाता। अपीलार्थियों को दिनांक 20.11.2001 के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में नियमित किया गया था। इस प्रकार, ऐसा नहीं है कि अपीलार्थी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें एक सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया है। यह विडंबना है कि अपीलार्थी, जो स्वयं एक नियमित प्रक्रिया के माध्यम से नहीं, बल्कि मूल रूप से एक तदर्थ आधार पर थे, इस तकनीकी आपत्ति के आधार पर वरिष्ठता सूची को चुनौती देना चाहते हैं। उनकी नियुक्ति कभी भी यू. पी. पी. एस. सी. के माध्यम से नहीं हुई है, जैसा कि नियमों के तहत परिकल्पित है।[पैरा 18,19 और 25] [514-ई-जी; 515-बी-सी; 516-एफ-जी]

सुशील चंद्र श्रीवास्तव विरुद्ध यू. पी. राज्य और अन्य 1996 एएलएल एलजे 1171; उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध मनबोधन लाल [1958] एससीआर 533-संदर्भित।

2. निजी प्रत्यर्थी संख्या 5-10 पदोन्नत व्यक्ति हैं। 'सहायक अभियंता' के पद पर कनिष्ठ अभियंता की पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति 27.5.1995 को आयोजित की गई थी। सुसंगत समय पर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कार्य की सीमा) विनियम, 1954 के 13वें संशोधन ने यूपीपीएससी के साथ परामर्श प्रक्रिया की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था,और यह केवल बाद में, 19.10.1995 को था कि ऐसे संशोधन इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिए गए थे। * *मंबोधन लाल* मामले के संविधान के अनुच्छेद 320 (3) की व्याख्या यह भी स्पष्ट करती है कि यद्यपि संविधान निर्माताओं का आशय आयोग के साथ परामर्श के प्रावधान को अनिवार्य करना नहीं हो सकता है, परंतुक को देखते हुए, यह कहने के समान नहीं होगा कि कार्यपालिका सरकार आयोग के अस्तित्व को पूरी तरह से नजरअंदाज करने के लिए स्वतंत्र है, जैसा कि वर्तमान मामले में बोर्ड में इस तरह के परामर्श को समाप्त किया जाना था। उच्च न्यायालय का यू.पी. विकास प्राधिकरण केंद्रीकृत सेवा नियमावली, 1985 के चौथे संशोधन, दिनांक 8.9.1993, पर भरोसा करना न्यायानुमत नहीं था, लेकिन यह संशोधन के विपरीत ज़रूर है। संशोधन में ऐसे पदों का

प्रावधान किया गया है जिनके लिए परामर्श की आवश्यकता नहीं थी। निर्विवाद रूप से, 'सहायक अभियंता' के पद का उल्लेख ऐसे पदों में से एक के रूप में नहीं किया गया है। इस तरह का परामर्श अनिवार्य था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हालाँकि, यह एक अनियमितता है और अवैधता नहीं है, और इस तरह की अनियमितता को हमेशा संभावित परामर्श के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। [पैरा 20-22] [515-सी-एच; 516-ए-बी]

* *उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध मनबोधन लाल* (1958) एससीआर 533-

अनुसरित किया गया।

3. उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केंद्रीकृत सेवा नियम, 1985 के नियम 28 में निस्संदेह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक-वरिष्ठता सेवा में शामिल होने की तारीख से निर्धारित की जाएगी। अपीलार्थियों की तदर्थ नियुक्ति को 20.11.2001 के किसी अगले दिनांक से नियमित किया गया था और इस प्रकार, वे उस दिनांक से केवल पारस्परिक वरिष्ठता के लिए नियुक्ति का दावा कर सकते हैं। पदोन्नति का नियम यह निर्धारित करता है कि पदोन्नति के मामले में निरंतर कार्यपालन की दिनांक सुसंगत दिनांक होगी। निजी प्रत्यर्थी विभिन्न दिनांको से कार्यवाहक रहे हैं और वे सुसंगत दिनांक होंगी, और वे दिनांक अपीलार्थियों की नियुक्ति से पहले की हैं। एकमात्र अनियमितता यूपीपीएससी के साथ परामर्श न करना है। [पैरा 24] [516-डी-एफ]

4. जहां तक निजी प्रत्यर्थियों/ पदोन्नत व्यक्तियों की पुष्टि का संबंध है, उस दोष को ठीक करने के लिए, हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि राज्य सरकार को अधिकतम दो महीने की अवधि के भीतर यूपीपीएससी के साथ परामर्श करना चाहिए और परामर्श प्रक्रिया के परिणाम के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, और वरिष्ठता सूची तदनुसार तय की जानी चाहिए। इसका तात्पर्य यह होगा कि पदोन्नत व्यक्ति तब तक वरिष्ठता सूची में अपना स्थान बनाए रखेंगे जब तक यूपीपीएससी की अनुकूल राय है, और केवल ऐसे उम्मीदवारों के मामले में जिन्हें यूपीपीएससी अन्यथा सलाह देता है, अर्थात, नकारात्मक रूप से, कि वह व्यक्ति समान वरिष्ठता का हिस्सा बनने का पात्र नहीं होगा.

[पैरा 26] [516-जी-एच ; 517-ए-बी]

सीधी नियुक्ति श्रेणी ।। अभियान्तिकी अधिकारी संघ विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (1990) 2 एससीसी 715 : [1990] 2 एससीआर 900 संदर्भित किया गया –

<u>सन्दर्भ निर्णय विधि</u>

ई. एल जे 1171	संदर्भित	पैरा 6
[1958] एससीआर 533	संदर्भित	पैरा 7
[1990] 2 एससीआर 900	संदर्भित	पैरा 14

सिविल अपीलीय अधिकारिता : 2014 की सिविल अपील क्र.10829

द्वारा, उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के दिनांक 26.04.2010 के निर्णय एवं आदेश रिट याचिका (सी) क्र.1388/2007(एस/बी)

के साथ

सिविल अपील क्र. 2014 की 10828

उपस्थित पक्षों के अधिवक्ता- पी. एन. मिश्रा, अमरेंद्र शरण, वरिष्ठ अधिवक्ता, सिद्धार्थ दवे, मनीष सिंह, शशांक सिंह, कबीर दीक्षित, आदिल शर्फुद्दीन, मो. वक़्वास, परम के. मिश्रा, शेखर कुमार, राजीव दुबे, आशुतोष कुमार शर्मा, कमलेंद्र मिश्रा, विष्णु बी सहर्या, वीरेश बी. सहर्या (मैसर्स सहर्या एंड कंपनी के लिए), प्रदीप कुमार, एस. उदय कुमार सागर, सुश्री बीना माधवन, सुश्री एलिजाबेथ एंटनी (मैसर्स वकील एस निट एंड कंपनी), चिरा रंजन एडी, गुन्नम वेंकटेश्वर राव।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति संजय किशन कौल द्वारा सुनाया गया–

1. यह पदोन्नत और सीधी नियुक्त व्यक्तियों के बीच चिरस्थाई विवादों में से एक है - इस बार यूपी विकास प्राधिकरण केंद्रीकृत सेवाओं में 'सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल)' के पद के लिए नियुक्तियों के दोनों प्रवर्ग शुरू में तदर्थ आधार पर किए गए थे लेकिन बाद में उनकी पुष्टि कर दी गई। यह मुख्य विवाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (संक्षेप में 'यूपीपीएससी') के साथ परामर्श की आवश्यकता से संबंधित है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320(3) में प्रदान की गई थी, जब इन तदर्थ नियुक्तियों की पुष्टि की गयी थी। सीधे नियुक्त व्यक्तियों का कहना है कि उस समय, जब तदर्थ पदोन्नत-नियुक्त व्यक्तियों की पुष्टि हुई, तो ऐसा कोई परामर्श नहीं हुआ जिससे एक अनिवार्य आवश्यकता का उल्लंघन हुआ और इस प्रकार उनकी नियुक्ति अवैध है। इसका परिणाम सीधी नियुक्ति पाने वालों द्वारा की गई प्रार्थना है कि ऐसे सभी पदोन्नत लोगों को, भले ही अब यूपीपीएससी के साथ परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से सेवा को नियमित किया जाना हो , सीधे नियुक्त किए गए व्यक्तियों के नीचे रखे जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

2. विवाद की तथ्यात्मक संरचना बहुत पहले उत्पन्न हुई थी, लेकिन इसकी परिणति 'सहायक अभियंता' के पद के लिए दिनांक 15.5.2007 की वरिष्ठता सूची से होना बताया जाता है, जिसके अनुसार पदोन्नत, सीधे नियुक्त व्यक्तियों के ऊपर रखे गए हैं। 1985 में उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास (संशोधन और मान्यता) अधिनियम, 1985 के अधीन उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकृति केंद्रीकृत सेवाएं बनाई गई थीं। मूल अधिनियम, अर्थात, यूपी शहरी योजना और विकास अधिनियम में संशोधन करने के लिए संशोधन अधिनियम (इसके बाद 'उक्त अधिनियम' के रूप में संदर्भित) को उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानीय अधिकारियों द्वारा बेहतर विकास प्रदान करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था, और इस प्रक्रिया में, इन प्राधिकरणों को संचालित करने के लिए एक केंद्रीकृत सेवा बनाई गई थी। इसे सुनिश्चित करने

के लिए, सभी विकास प्राधिकरणों की केंद्रीकृत सेवाएं बनाने के लिए संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 5(क) शामिल की गई थी। यूपी विकास प्राधिकरण केंद्रीकृत सेवा नियम, 1985 (इसके बाद 'उक्त नियम' के रूप में संदर्भित) उक्त धारा 5(क) के तहत अधिनियमित किए गए थे और अधिसूचित किए गए थे और 25.6.1985 को लागू हुए थे। उक्त नियमों का नियम 8 अनुसूची I से VI में उल्लिखित विभिन्न पदों पर भर्ती के स्रोत का प्रावधान करता है। 'सहायक अभियंता' के पद पर पदोन्नति अनुसूची III में सूचीबद्ध है। अनुसूची III का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

केन्द्रीकृत सेवा का नाम	पद का नाम	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा योग्यता
अभियांत्रिकी	सहायक अभियंता (रु.850-1720)	अवर अभियंता (रु.485-860)	एक योग्य जूनियर इंजीनियर की आवश्यक योग्यता होनी चाहिए और भर्ती वर्ष की पहली जुलाई को योग्य जूनियर इंजीनियर के रूप में कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करनी चाहिए।

सहायक अभियंता:: असिस्टेंट इंजीनियर

अवर अभियंत:: जूनियर इंजीनियर

गौरतलब है कि अनुसूची III में लोक सेवा आयोग द्वारा 50% पदोन्नति के माध्यम से और 50% सीधी भर्ती के अनुपात में भरे जाने वाले पदों का प्रावधान है।

3. इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री के रूप में शैक्षणिक योग्यता के साथ 'सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल)' के 9 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 11.7.1987 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। नियुक्ति एक चयन समिति द्वारा 13.8.1987 को किए गए चयन के आधार पर दिनांक 25.8.1987 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार की गई थी। नियुक्ति "पूरी तरह से अस्थायी और तदर्थ आधार पर" है। कार्यालय ज्ञापन के खंड 3 में कहा गया है कि ऐसी नियुक्तियाँ पूरी तरह से अस्थायी हैं एवं अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए हैं या लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित उम्मीदवारों का चयन किए जाने और उपलब्ध कराए जाने तक की अवधि तक हैं, जो भी पहले हो । यह भी कहा

गया कि सेवाएं बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं। हम यहां ध्यान दे सकते हैं कि सिविल अपील संख्या 10829/2014 में दो अपीलकर्ता और सिविल अपील संख्या 10828/2014 में एक अपीलकर्ता सीधी भर्ती के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों में से हैं।

4. उक्त नियमों में समय-समय पर संशोधन किये गये। दिनांक 7.2.1992 की अधिसूचना द्वारा नियमों के तीसरे संशोधन के अनुसार, सीधी भर्ती वाले उन लोगों की तदर्थ नियुक्ति को नियमित करने के उद्देश्य से एक नया नियम 20-क जोड़ा गया था, जो 1.10.1986 को या उससे पहले भर्ती किए गए थे। हालाँकि, यह संशोधन अपीलकर्ताओं की सहायता के लिए नहीं आया क्योंकि निर्दिष्ट तारीख 1.10.1986 थी, जबकि अपीलकर्ताओं की भर्ती 25.8.1987 को हुई थी। यह 2.8.2001 को प्रकाशित 1985 के नियमों में केवल 7वां संशोधन था, जिसने तदर्थ सीधी भर्ती के नियमितीकरण के लिए नियम 20-क के तहत निर्दिष्ट तारीख को 1.10.1986 से 29.6.1991 तक संशोधित किया, जिससे ऐसे अपीलकर्ताओं के नियमितीकरण की सुविधा प्रदान की गई, जिनकी भर्ती 29.6.1991 से पहले हुई थी। इस प्रकार, अपीलकर्ताओं को बाद में कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20.11.2001 के अनुसार नियमित कर दिया गया।

5. इसी बीच पदोन्नत व्यक्तियों को लेकर समानांतर रूप से एक और कहानी सामने आ रही थी। विवाद का जन्म 8.9.1993 को अधिसूचित नियमों के चौथे संशोधन द्वारा हुआ था, जिसके द्वारा नियम 21, जो पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित करता था, को इस हद तक संशोधित किया गया था कि इसमें कुछ पदों के लिए यूपीपीएससी के साथ परामर्श को समाप्त कर दिया गया था। मौजूदा और संशोधित नियमों को दर्शाने वाला प्रासंगिक संशोधन यहां नीचे दिया गया है:

कॉलम - I	कॉलम - II
मौजूदा नियम पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया	प्रतिस्थापित नियम पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया
21. समय-समय पर संशोधित "उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के परामर्श से चयन द्वारा पदोन्नति" के अनुसार अयोग्य की अस्वीकृति के अधीन वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की जाएगी	21. पदोन्नति द्वारा भर्ती राज्य सरकार द्वारा अयोग्य की अस्वीकृति के अधीन वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी और पदोन्नति में अपनाए जाने वाले सिद्धांतों या उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा। अनुसूची-I में उल्लिखित अपर सचिव, संयुक्त सचिव, संपत्ति अधिकारी, वरिष्ठ कर एवं राजस्व अधिकारी, मुख्य

	अभियंता अधिशासी अभियन्ता, लेखा अधिकारी, मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजक, कार्यालय अधिक्षक एवं निजी सचिव के पदों पर पदोन्नति हेतु।

यह ध्यान रखना प्रासंगिक हो सकता है कि यूपीपीएससी के साथ परामर्श की आवश्यकता को दूर करते हुए, इसे संशोधित नियम में उल्लिखित पदों तक ही सीमित रखा गया था, और इसमें 'सहायक अभियंता' के पद का उल्लेख नहीं किया गया था।

6. अगली घटना 7.9.1994 को हुई, जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कार्य की सीमा) विनियम, 1954 (इसके बाद 'उक्त विनियम' के रूप में संदर्भित) में 13वां संशोधन लागू किया गया, जिससे राज्य सेवा में किसी पद पर पदोन्नति करने में उम्मीदवारों की उपयुक्तता के संबंध में यूपीपीएससी के साथ परामर्श प्रक्रिया को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इस संशोधन को ध्यान में रखते हुए, जूनियर इंजीनियरों को 'सहायक अभियंता' के पद पर नियमित पदोन्नति के लिए एक विभागीय पदोन्नति समिति 27.5.1995 को आयोजित की गई थी, जिसमें विशेष रूप से दर्ज किया गया था कि इस संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए , यूपीपीएससी से परामर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालाँकि, सभी सेवाओं और पदों पर पदोन्नति के लिए उपयुक्तता के संबंध में परामर्श की प्रक्रिया को खत्म करने का प्रयास, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय "*सुशील चंद्र श्रीवास्तव विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य.*"[1], के अनुसार नहीं हुआ, जहां इसे संवैधानिक रूप से अमान्य माना गया था और उपरोक्त संशोधन की चुनौती को बरकरार रखते हुए, राज्य सेवाओं और पदों पर पदोन्नति के संबंध में उक्त विनियमों को अधिकारातीत बताते हुए रद्द कर दिया गया था। फैसले में संविधान के अनुच्छेद 320(3) पर ध्यान दिया गया, जो इस प्रकार है:

"320. लोक सेवा आयोगों के कृत्य. –

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

(3) यथास्थिति, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श लियाजायेगा--

(क) सिविल सेवाओं में और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर,;

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

परंतु अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में तथा संघ के कार्यकलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में भी राष्ट्रपति तथा राज्य के कार्यकलाप से संबधित अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में राज्यपाल उन विषयों को विनिर्दिष्ट

---

[1] 1996 एएलएल एलजे 1171

करने वाले विनियम बना सकेंगे जिनमें साधारणतया या किसी विशिष्ट वर्ग के मामले में या किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं होगा "

7. उच्च न्यायालय ने *उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध मनबोधन लाल*[2] में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले पर गौर किया, जिसमें घोषणा की गई थी कि संविधान का अनुच्छेद 320(3)(ग) प्रकृति में निदेशात्मक था और टिप्पणियां दे रहा था, जो उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार उद्धरित की गई:

"अगर संविधान के निर्माताओं की यह मंशा होती कि आयोग के साथ परामर्श अनिवार्य होना चाहिए, तो प्रवंतुक का प्रावधान वहां नहीं होता, या, किसी भी दर पर, उन शर्तों में नहीं होता, जिनमें वह स्थित है। *इसका मतलब यह नहीं है कि यह कार्यपालिक सरकार के लिए पूरी तरह से खुला है कि वह आयोग के अस्तित्व को नजरअंदाज कर सके या ऐसे मामलों को चुन सके जिनमें उससे परामर्श किया जा सकता है या नहीं* ।"

8. उच्च न्यायालय ने पाया कि मौजूदा मामले में, आक्षेपित संशोधन द्वारा, परामर्श की प्रक्रिया को पूरी तरह से हटा दिया गया है और इस प्रकार, यह इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त अवलोकन के उत्तरार्ध में लगाई गई कैविएट के अंतर्गत आएगा। यह निर्णय अंतिम हो गया है।

9. उपरोक्त निर्णय का प्रभाव इस प्रकार स्पष्ट था कि जूनियर इंजीनियरों की पदोन्नति की प्रक्रिया के लिए यूपीपीएससी के साथ परामर्श की आवश्यकता होगी। हालाँकि, इसके बावजूद, जूनियर इंजीनियरों को 'सहायक अभियंता' के पद पर पदोन्नत करते हुए दिनांक 29.12.1995 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था। ऐसा करने के लिए, नियम 21 में संशोधन पर भरोसा किया गया था, जो 8.9.1993 को नियमों के चौथे संशोधन द्वारा किया गया था, और चूंकि नियमों में उक्त संशोधन को रद्द नहीं किया गया था, इसलिए परामर्श की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं थी। हालाँकि, इसने 'सहायक अभियंता' के पद के उस पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जो उक्त संशोधन के तहत आने वाले पदों में से एक नहीं है, एक स्थिति, जिस पर हमारे सामने गंभीरता से विवाद नहीं किया जा सकता। हालाँकि, इन पदोन्नत लोगों का नियमितीकरण, नियमों में 14वें संशोधन के अनुसरण में किया गया था, जिसमें नियम 21क शामिल किया गया था, जो 30.6.1998 से पहले काम कर रहे तदर्थ पदोन्नत लोगों की सेवाओं को नियमित करने का प्रावधान करता है।

10. इसका असर यह हुआ कि नियमितीकरण उनकी पदोन्नति की तारीख यानी 29.12.1995 से प्रभावी होगा। हम यह जोड़ सकते हैं कि जहां तक परस्पर पदोन्नत लोगों के

---

[2] 1958 एससीआर 533

लिए वरिष्ठता के दावे का सवाल है, यह नियम 21क के उप-नियम (8) के अंतर्गत आता है, जो इस प्रकार है:

> (8) इस नियम के तहत पदोन्नत व्यक्ति इन नियमों के अनुसार चयन के बाद पदोन्नति के आदेश की तारीख से ही वरिष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में, उप-नियम (5) में निहित पदोन्नति की प्रक्रिया के अनुसार ऐसे व्यक्ति की पदोन्नति से पहले पदोन्नत व्यक्तियों से नीचे रखा जाएगा।

11. इस प्रकार, विवाद की गंभीरता यह है कि यदि पदोन्नत व्यक्तियों को कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29.12.1995 के अनुसरण में कानून के अनुसार पदोन्नत किया गया है, तो वे उन अपीलकर्ताओं से वरिष्ठ होंगे जिन्हें केवल 20.11.2001 को, 7वें संशोधन दिनांक 2.8.2001 के अनुसरण में नियमित किया गया था। यह इस पृष्ठभूमि में था कि 'सहायक अभियंता' की विवादित वरिष्ठता सूची 15.5.2007 को प्रकाशित की गई थी, जिसमें पदोन्नत लोगों को सीधे नियुक्त किए गए लोगों से ऊपर रखा गया था। इसी वरिष्ठता सूची पर रिट याचिका में सवाल उठाया गया है, जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

12. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने हमारे समक्ष यह तर्क देना चाहा कि यूपीपीएससी के साथ परामर्श के अभाव में, निजी प्रत्यर्थी की नियुक्ति को नियमित नहीं कहा जा सकता है और वास्तव में, यह एक अंतर्निहित कानूनी दोष से ग्रस्त है। तथ्य यह है कि यूपीपीएससी के साथ परामर्श शुरू में 7.9.1994 को अधिसूचित उक्त विनियमों में 13वें संशोधन के आधीन समाप्त कर दिया गया था, और उक्त संशोधन द्वारा उस छत्रछाया को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 19.10.1995 को दिनांकित फैसले के तहत रद्द कर दिया गया था, और स्पष्ट रूप से निजी प्रत्यर्थी की नियुक्ति को अवैध बना दिया। फिर इसे 8.9.1993 को अधिसूचित उक्त नियमों के चौथे संशोधन के भीतर लाने का प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि 'सहायक अभियंता' के पद का उल्लेख उन पदों में से एक के रूप में नहीं किया गया था जिसके लिए यूपीपीएससी के साथ परामर्श छोड़ दिया गया था। इस प्रकार, जबकि उपरोक्त वर्णित अनुसार यूपीपीएससी के साथ परामर्श को पूरी तरह से हटा दिया गया, किन्तु उक्त नियमों में अन्य संशोधन निजी प्रत्यर्थी के मामलों को शामिल नहीं करते।

13. दूसरी ओर, राज्य सरकार ने इस तर्क को इस आधार पर खारिज करने की कोशिश की कि अधिक से अधिक यह एक अनियमित नियुक्ति थी और कोई अवैध नियुक्ति नहीं थी क्योंकि यूपीपीएससी के साथ हमेशा पूर्वव्यापी परामर्श हो सकता था। यह, निश्चित रूप से, विकल्प में एक तर्क था, हालांकि, वास्तव में यह स्थापित करने में सक्षम नहीं होने के बाद कि 8.9.1993 के नियमों में चौथा संशोधन विशेष रूप से 'सहायक अभियंता' के पद को सम्मिलित नहीं करता था। हम यह जोड़ सकते हैं कि इस प्रस्ताव के साथ कोई वास्तविक विवाद नहीं हो सकता है कि अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए आरटीआई प्रश्न पर राज्य सरकार के जवाब के अनुसार भी ऐसा परामर्श आवश्यक था, जहां भी पद आयोग के दायरे में आते

हैं और इस प्रकार, परामर्श आवश्यक है जहां तक 'जूनियर इंजीनियर' से 'सहायक इंजीनियर' पद पर पदोन्नति का मामला है।

14. राज्य सरकार की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पीएन मिश्रा की दलील का दूसरा हिस्सा *डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य और अन्य*[3] में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले से प्राप्त समर्थन पर आधारित था। अंतिम पैराग्राफ संख्या 47 में, पदोन्नत और सीधे नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता के संबंध में प्रस्ताव रखते हुए, इसे उप-पैरा (ख) में निम्नानुसार कहा गया था:

> "(ख) यदि प्रारंभिक नियुक्ति नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके नहीं की गई है, लेकिन नियुक्त व्यक्ति नियमों के अनुसार अपनी सेवा के नियमित होने तक पद पर निर्बाध रूप से बना रहता है, तो स्थानापन्न सेवा की अवधि की गणना की जाएगी।"

15. चूँकि वरिष्ठता सूची को चुनौती दी गई है, इसलिए यह तर्क दिया गया कि पदोन्नत व्यक्तियों की स्थानापन्न अवधि को भी पदोन्नत पद पर उनकी वरिष्ठता के लिए गिना जा सकता है। इस तर्क को और अधिक समर्थन देने के लिए नियम 28(4) का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था, जो वरिष्ठता से संबंधित है और इस प्रकार है:

> "28. वरिष्ठता –
>
> xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
>
> (4) उप-नियम (1) में किसी बात के बावजूद, सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता सीधी भर्ती के मामले में सेवा में शामिल होने की तारीख से निर्धारित की जाएगी और पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में निरंतर स्थानापन्न की तिथि से और जहां पदोन्नत व्यक्ति के निरंतर स्थानापन्न की तिथि और सीधी भर्ती वाले व्यक्ति की सेवा में जुड़ने की दिनांक एक समान है, वहाँ पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति को वरिष्ठ माना जाएगा; परन्तु जहां भर्ती के किसी भी वर्ष में नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों द्वारा की जाती हैं और स्रोत का संबंधित कोटा निर्धारित किया जाता है, वहां नियम 17 के अनुसार संयुक्त सूची में नामों को व्यवस्थित करके परस्पर वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी ताकि निर्धारित प्रतिशत कायम रहे।"

16. निजी प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अमरेंद्र शरण ने भी इस प्रस्ताव को प्रचारित करने की मांग की कि अन्यथा भी, भारत के संविधान के अनुच्छेद

---

[3] (1990) 2 एससीसी 715

320(3) के प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए यूपीपीएससी के साथ परामर्श अनिवार्य नहीं था, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा *उत्तर प्रदेश राज्य* ***विरुद्ध*** *मनबोधन लाल*[4] में अपनी संविधान पीठ के फैसले में इसे और अधिक प्रतिपादित किया गया। विद्वान अधिवक्ता ने 14 वें संशोधन से भी समर्थन मांगा, जिसमें नियम 21क (उपरोक्त नियम (8) पूर्वोक्त निकाला गया) को शामिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पदोन्नत लोगों की वरिष्ठता की गणना "केवल नियम के अनुसार चयन के बाद पदोन्नति के आदेश की तारीख से की जानी चाहिए।" हालाँकि, हम ध्यान दे सकते हैं कि यह उप-नियम वास्तव में पदोन्नत लोगों के बीच पारस्परिक वरिष्ठता के संबंध में है।

17. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों की जांच की है।

18. हमारे विचार में यह विवाद तदर्थवाद का एक परिणाम है, जो स्थापना के समय हुआ था जब उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1973 में संशोधन किया गया था, ताकि यू.पी. राज्य में अधिकारियों द्वारा बेहतर विकास प्रदान किया जा सके। नियमित प्रक्रिया नहीं की गई थी और पदोन्नत व्यक्तियों और सीधी नियुक्तियों दोनों के संदर्भ में एक स्टॉप- गैप व्यवस्था की गई थी। हालाँकि, इस स्टॉप- गैप व्यवस्था ने नियमित प्रक्रिया का पालन किए बिना, लंबे समय तक निरंतरता द्वारा एक अधिक स्थायी विशेषता हासिल कर ली। यह दोनों चैनलों में था। अपीलार्थियों की नियुक्ति स्वयं यूपीपीएससी की नियमित प्रक्रिया के माध्यम से नहीं की गई थी, बल्कि दिनांक 25.8.1987 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा नियुक्त चयन समिति द्वारा किए गए चयन के माध्यम से की गई थी। यह नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी और तदर्थ आधार पर थी और इसे अधिकतम एक वर्ष या उस अवधि तक जारी रखना था जब तक कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित उम्मीदवारों का चयन नहीं किया जाता। फिर भी, ऐसी नियमित प्रक्रिया कभी नहीं हुई, लेकिन दूसरी ओर ऐसी तदर्थ नियुक्तियों को उन व्यक्तियों के लिए नियमित करने की मांग की गई, जिन्हें उक्त नियमों में दिनांक 7.2.1992 के तीसरे संशोधन के अनुसार 1.10.1986 को या उससे पहले भर्ती किए गए थे। यहां तक कि यह संशोधन भी अपीलकर्ताओं के लाभ के लिए नहीं था, हालांकि उन्हें 25.8.1987 को भर्ती किया गया था, अर्थात, नियमों में उपरोक्त संशोधन से पहले, फिर भी निर्दिष्ट तिथि 1.10.1986 रखी गई थी। इसके बाद ही, दिनांक 2.8.2001 के उक्त नियमों में 7वें संशोधन के माध्यम से, अपीलकर्ताओं जैसे व्यक्तियों को नियमित करने के लिए रोक को 29.6.1991 में स्थानांतरित कर दिया गया, और अपीलकर्ताओं को कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20.11.2001 के अनुसार नियमित किया गया। ये संशोधन राज्यपाल के परामर्श से किए गए, जो नियमों में संशोधन करने से सहमत थे।

---

[4] उपर्युक्त

19. अपीलकर्ताओं की नियुक्ति की उपरोक्त प्रक्रिया पर चर्चा करने का उद्देश्य यह उजागर करना है कि ऐसा नहीं है कि अपीलकर्ता ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया है, बल्कि नियुक्तियाँ स्टॉप-गैप व्यवस्था द्वारा की गई थीं, जिसे नियमित किया गया था।

20. जहां तक निजी प्रत्यर्थी संख्या 5-10 का सवाल है, वे पदोन्नत हैं। वे जूनियर अभियंता थे। नियमों के अनुसार 50 प्रतिशत कोटा के रहते, उन्हें 'सहायक अभियंता' के रूप में नियुक्त किया गया और पदोन्नत किया गया। कनिष्ठ अभियंताओं को 'सहायक अभियंता' के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 27.5.1995 को हुई। राज्य सरकार के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क में कुछ गुणदोष है कि प्रासंगिक समय में 13वें संशोधन ने यूपीपीएससी के साथ परामर्श प्रक्रिया की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, और यह केवल बाद में, 19.10.1995 को हुआ था कि ऐसे संशोधनों को रद्द कर दिया गया। हालाँकि, इसमें कोई विवाद नहीं है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह निर्णय अंतिम हो गया है। इतना ही नहीं, *उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध मनबोधन लाल*[5] के मामले में संविधान के अनुच्छेद 320 (3) की व्याख्या यह भी स्पष्ट करती है कि यद्यपि संविधान निर्माताओं का आशय आयोग के साथ परामर्श के प्रावधान को अनिवार्य करना नहीं हो सकता है, परंतुक को देखते हुए, यह कहने के समान नहीं होगा कि कार्यपालिका सरकार आयोग के अस्तित्व को पूरी तरह से नजरअंदाज करने के लिए स्वतंत्र है, जैसा कि वर्तमान मामले में बोर्ड में इस तरह के परामर्श को समाप्त किया जाना था।

21. उपरोक्त स्थिति का सामना करते हुए, एक पहलू, कार्रवाई की दिशा को चौथे संशोधन नियम, दिनांक 8.9.1993, पर रखकर उचित ठहराने की मांग की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय का समर्थन मिला है, लेकिन यह संशोधन के विपरीत है। संशोधन ऐसे पदों का प्रावधान करता है जिनके लिए परामर्श की आवश्यकता नहीं थी। निर्विवाद रूप से, 'सहायक अभियंता' का पद ऐसे पदों में से एक के रूप में उल्लिखित नहीं है। इस प्रकार, हम इस बात की सराहना करने में विफल हैं कि उच्च न्यायालय संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए इस संशोधन की सहायता कैसे ले सकता था। इस प्रकार, हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि ऐसा परामर्श अनिवार्य था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तथ्य यह है कि कुछ पदों के लिए परामर्श को आवश्यक नहीं मानकर हटा दिया गया था, इसका तात्पर्य यह है कि जिन पदों का उल्लेख नहीं किया गया है, उनके लिए भी इसकी आवश्यकता होगी।

22. इसके साथ ही, हमारा यह भी विचार है कि राज्य सरकार के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह तर्क सही है कि यह एक अनियमितता है न कि अवैधता, और ऐसी अनियमितता को हमेशा संभावित परामर्श के माध्यम से ठीक किया जा सकता है।

---

[5] उपर्युक्त

23. हम यह भी जोड़ सकते हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कि जहां तक उक्त नियमों के नियम 21क के उप-नियम (8) का संबंध है, इससे वर्तमान विवाद में मदद नहीं मिलेगी क्योंकि यह पदोन्नत लोगों के बीच पारस्परिक वरिष्ठता को संदर्भित करता है।

24. उक्त नियमों के नियम 28 में निःसंदेह प्रावधान है कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता सेवा में शामिल होने की तिथि से निर्धारित की जाएगी। एक बार फिर, जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपीलकर्ताओं की तदर्थ नियुक्ति 20.11.2001 की अगली तारीख से नियमित कर दी गई थी और इस प्रकार, वे केवल उस तारीख से पारस्परिक वरिष्ठता के लिए नियुक्ति का दावा कर सकते हैं। पदोन्नत व्यक्तियों के लिए यह उप-नियम यह निर्धारित करता है कि पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में निरंतर पद पर बने रहने की तारीख ही प्रासंगिक तारीख होगी। निजी प्रत्यर्थी विभिन्न तिथियों से कार्य कर रहे हैं और वे प्रासंगिक तिथियां होंगी, और वे तिथियां अपीलकर्ताओं की नियुक्ति से पहले की हैं। एकमात्र अनियमितता यूपीपीएससी से परामर्श न करना है।

25. हमें यह विडंबना है कि अपीलार्थी, जो स्वयं एक नियमित प्रक्रिया के माध्यम से नहीं, बल्कि मूल रूप से एक तदर्थ आधार पर थे, इस तकनीकी आपत्ति के आधार पर वरिष्ठता सूची को चुनौती देना चाहते हैं। उनकी नियुक्ति कभी भी यू. पी. पी. एस. सी. के माध्यम से नहीं हुई है, जैसा कि नियमों के तहत परिकल्पित है।

26. जो भी हो, जहां तक निजी प्रत्यर्थियों/ पदोन्नत व्यक्तियों की पुष्टि का संबंध है, उस दोष को ठीक करने के लिए, हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि राज्य सरकार को अधिकतम दो महीने की अवधि के भीतर यूपीपीएससी के साथ परामर्श करना चाहिए और परामर्श प्रक्रिया के परिणाम के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, और वरिष्ठता सूची तदनुसार तय की जानी चाहिए। इसका तात्पर्य यह होगा कि पदोन्नत व्यक्ति तब तक वरिष्ठता सूची में अपना स्थान बनाए रखेंगे जब तक यूपीपीएससी की अनुकूल राय है, और केवल ऐसे उम्मीदवारों के मामले में जिन्हें यूपीपीएससी अन्यथा सलाह देता है, अर्थात, नकारात्मक रूप से, कि वह व्यक्ति समान वरिष्ठता का हिस्सा बनने का पात्र नहीं होगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि यूपीपीएससी के परामर्श से, हमने जो देखा है उसके अनुसार इस विवाद को शांत किया जाना चाहिए और यदि यूपीपीएससी सहमत है, तो इस संबंध में कोई और मुकदमा नहीं किया जाना चाहिए।

27. उपरोक्त शर्तों के अनुसार अपीलों का निपटारा किया जाता है और पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा।

अमित सिंह सिसोदिया अपीलें निराकृत